हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29/4/22 वक्तव्य हेतु।

अधिवक्ता श्री वादी/प्रार्थी द्वारा प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पत्र पेश नहीं किया जाने से जवाब दावा पत्र बन्द किया जाता है। अतः वक्तव्य दावा पत्र 212 R.T.C. 1956 खसरा भूमि दावा पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दावा पत्र धारा 212 R.T.C. विरुद्ध प्रतिवादी का इस आशय का पेश किया कि सोनपाल पुत्र हिरीप मरीज सोपर के वसीयत द्वा.न० 53, 554, 556, 677, 1218/3583 कुल रकबा 05, कुल रकबा 5.1620 हेक्टेयर भूमि वाकि हुई रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का 1/6, प्रतिवादी 1 व 2 का 1/6, 3 का 1/6, 4 का 1/6 5 का 1/6, 6 से 8 का 1/6 हिस्सा प्रार्थीगण व प्रतिवादीगण 1 से 8 की संयुक्त खातेदारी का रिकार्ड है। उक्त भूमि का बंटवारा वाकि, मिसल बन्द जायदाद नहीं होने से खातेदारान के मध्य नहर भूमि को लेकर विवाद होता रहा है। प्रतिवादीगण वक्तव्य भूमि को बेचान करने पर उतारू है। जिससे हमको हमारा भरणपोषण सुचारू का संतुष्ट व अधूरा रहि तिनों विरुद्ध प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रतिवादीगण के मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थीगण के कब्जे कास्त में दखल अन्दाजी नहीं करने तथा बेचान अमीद करने से स्थायी निषेधाज्ञा देने की दिलाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि के बारे में नहीं है विरुद्ध प्रार्थीगण का कब्जा कास्त नहीं है। प्रतिवादी जीते जी जिवन काल में ही अपने पुत्रों के अलग-अलग कब्जा सुपुर्द कर दिया था। प्रार्थीगण की लापरवाही कोताही कब्जेदार हो गई है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा है ही नहीं है। दखल प्रतिवादी का उनके खेत में नहीं होता है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि पर न तो प्रार्थीगण कतई प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है न ही प्रार्थीगण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

सेवा में,

यदि आपीलांट के पक्ष में ही आपीलांट अप्रार्थी संख्या 5 की अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने का अधिकारी नहीं है। विपक्ष आपीलांट के प्रार्थना पत्र को खारिज करने की प्रार्थना की है।

उभय पक्षगण आपीलांट व अप्रार्थीगण ने उक्त के मौखिक ~~[illegible]~~ प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह कहा कि वादग्रस्त भूमि आवंटमेन्ट सम्बन्ध कार्य की भूमि है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षों का विवाद है। आपी स्थानेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र, जवाब पत्र मय अभिलेख दस्तावेज का अध्ययन कर उक्त बिन्दुवार पर गौर करना किया गया। पक्षकार द्वारा लिखित/मौखिक वादग्रस्त भूमि सम्बन्ध स्थानेदारी की दर्शाई है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में आवंटमेन्ट है। पीठासीन अधिकारी द्वारा पक्षों का आधिपत्य विवाद वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त भूमि में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं प्रतीत है।

आदेश

अतः उक्त विवेचन/विश्लेषणानुसार अपील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यहीन व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार होकर नम्बर से कम हो।

Sd/-
[illegible]